भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1352

सोमवार, 24 जुलाई, 2017 / 2 श्रावण, 1939 (शक)

असंगठित क्षेत्र के लिए वेतन आयोग

1352. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए भी नियमित अंतराल पर आयोग का गठन करके उनकी कार्यदशाओं और वेतनमान की समीक्षा करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास इस संबंध में वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) से (घ): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में कामगारों के शोषण को रोकने हेतु नियोजन में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/आवधिक पुनरीक्षण का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत, समुचित सरकार केन्द्र और राज्यों दोनों ही अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अधिसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी तय/परिशोधित करती है। इस अधिनियम में, इस अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के अंतर्गत, अपराधों के लिए दंड के प्रावधान के अलावा कार्यघंटे तय करने, समयोपरी मजदूरी के भुगतान का भी प्रावधान है।

*****